रमैय्या

बनाम

एन. नारायण रेड्डी(मृत) जरिये विधिक वारिसान

10 अगस्त 2004

{अशोक भान और एस.एच. कपाडिया, जे.जे.}

परिसीमा अधिनियम, 1963:

अनुच्छेद 64-भूमि के कब्जे के लिए मुकदमें की प्रयोज्यता-बेदखल होने के 13 वर्षो के बाद दायर किया गया-साक्ष्य कब्जे से निष्कासन का संकेत देता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिसीमा वर्जित होने के आधार पर मुकदमा खारिज-अपील में अभिनिर्धारित: मुकदमा परिसीमा वर्जित है-जहॉ मुकदमा कब्जे में होने वाले वादी के अभिकथन पर आधारित हो और तत्पश्चात् कब्जा समाप्त होने या बेदखल होने के कारण कब्जा खो जाता है, तब अनुच्छेद 64 लागू होता है।

धारा 64 और 65- प्रयोज्यता - अन्वेषण- निर्णित : अभिवचानों के संबंध में प्रयोज्यता सुनिश्चित की जानी है।

धारा 14-कब्जे के लिए वाद- पूर्व मुकदमें में न्यायालय के आदेश से 2 वर्ष पश्चात् परन्तु कब्जे बेदखली से परिसीमा अवधि के बाद दर्ज - पूर्व मुकदमें के दौरान कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीता के बावजूद कोई नहीं

उठाये। धारा 14 के लाभ के लिए पात्रता-निर्णितः प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वादी लाभ का अधिकारी नहीं।

प्रतिवादी ने अपीलार्थी के खिलाफ स्वामित्व और स्थाई निषेधाज्ञा पर आधारित कब्जे की वसूली करने के लिए मुकदमा इस आधार पर दायर किया कि अपीलार्थी उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। अपीलार्थी का बचाव यह था कि वाद भूमि खरीदने के आधार पर वह भूमि के कब्जे में था, और वाद की जमीन ईनाम भूमि थी, और वह इनाम उन्मूलन अधिकरणों के द्वारा खादिम किरायेदार के रूप में पंजीकृत था। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 07.04.2071 में यह कहा गया कि प्रतिवादी पूरी भूमि मापन 3 एकड़ 12 गुंठा के बजाय मात्र 1 एकड़ 21 गुंठों का मालिक था। हालाकि, चूंकि प्रतिवादी को पूरी भूमि के कब्जे में पाया गया था, इसलिए उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा दी गई थी। तत्पश्चात् प्रतिवादी द्वारा दर्ज अपीलें खारिज की गई और डिक्री को दिनांक 24.11.1982 को अन्तिमता तक पहुंचाया गया।

अपीलार्थी के द्वारा हस्तगत मुकदमा दिनांक 24.11.1982 के दो वर्ष के भीतर 1 एकड़ 21 गुंठा भूमि के कब्जे हेतु दर्ज करवाया गया। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा परिसीमा अवधि से वर्जित था क्योंकि मुकदमा वर्ष 1971 में बेदखली के 13 वर्ष के पश्चात् दर्ज किया

गया। अपील में उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए मुकदमें को खारिज करने के आदेश की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील के दौरान, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि मुकदमा परिसीमा बाधित नहीं था क्योंकि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 64 लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दर्ज मुकदमा कब्जे के आधार पर ना होकर स्वामित्व के आधार पर था। हस्तगत मुकदमें में अनुच्छेद 65 लागु होगा जिसके अनुसार मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर था क्योंकि 12 वर्ष की परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू हुई थी जब प्रतिवादी का कब्जा उसके लिए प्रतिकूल हो गया था ; और यह कि प्रतिवादी के द्वारा पूर्व में की गई मुकदमेबाजी को देखते हुए वह अधिनियम के अनुच्छेद 14 के तहत लाभ का अधिकारी था।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 धारा 64 परिसीमा अधिनियम 1963(अनुच्छेद 142 परिसीमा अधिनियम 1908) कब्जे से बेदखल अथवा कब्जा समाप्ति के पश्चात् कब्जे हेतु किये गये वाद तक ही सीमित है। मुकदमे को इस अनुच्छेद के दायरे में लाने के लिए यह दिखाया जाना आवश्यक है कि तत्व के साथ-साथ सार से भी वाद वादी, जोकि कब्जे में था और तत्पश्चात् बेदखली या कब्जा समाप्ति के कारण से कब्जा छुट गया, के अभिकथनों पर आधारित है। जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 65 परिसीमा अधिनियम 1963(अनुच्छेद 144

परिसीमा अधिनियम 1908) अवशिष्ट प्रावधान है जो उन मुकदमों पर लागु किया जाता है जो अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो। वादी के स्वामित्व पर आधारित वाद जिसमें पूर्व कब्जे का कोई अभिकथन नहीं है एवं मात्र बाद में बेदखली हुई है, धारा 65 के अन्तर्गत आ सकता है। यह सवाल कि किसी विशिष्ट वाद पर धारा 64 या धारा 65 लागु होगा, अभिवचनों के आधार पर निर्णित किया जाना होता है।

1.2 प्रतिवादी द्वारा पूर्व दर्ज मुकदमें में, अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया था कि 1971 तक वाद संपत्ति पर उसका कब्जा था। उस मुकदमें में अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति यहॉ उसके कब्जे से बेदखल होना दर्शाती है। अपीलार्थी द्वारा 8.5.84 को संस्थित हस्तगत प्रकरण में, उसने इस तथ्य को छुपा दिया है। इन परिस्थतियों में, दोनों नीचली अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थीं कि वर्तमान मुकदमा परिसीमा बाधित था। अनुच्छेद 64 वर्तमान मुकदमें पर लागू होता है।

राम सूरतसिंह और अन्य बनाम बद्री नारायण सिंह एआईआर(1927) इलाहाबाद 799 और मोहम्मद महमूद बनाम मुहम्मद अफाक और अन्य एआईआर(1934) अवध 21 उल्लेखित। परिसीमा अधिनियम, संजीव राव {संस्करण 9, खंड 2, पृष्ठ 549} उल्लेखित।

2. अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 14 का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी ने डिक्री दिनांक 7.4.1971 में कब्जे को

लेकर दिए गये निष्कर्ष को कभी चुनौती नहीं दी थी। पूर्व के मुकदमें की पूर्ण अवधि के दौरान हालांकि अपीलार्थी के पास प्रतिवादी से 1 एकड़ 21 गुंठा की जमीन की हद तक कब्जा वापसी का अधिकार था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा कब्जा प्राप्ति हेतु 8.5.1984 तक कोई कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन, अपीलार्थी वर्तमान प्रकरण में अधिनियम की धारा 14 के लाभ का अधिकारी नहीं था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5864/1999

कर्नाटका उच्च न्यायालय के आर.एफ.ए. 412/1988 में निर्णय और आदेश दिनांकित 27.05.97 से

अपीलार्थियों की ओर से श्री पी.आर. रामाशेष और सुश्री वंदना जालान।

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री जी.वी. चन्द्रशेखर और श्री पी.पी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय कपाड़िया, जे द्वारा सुनाया गया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आर.एफ.ए. नम्बर 412/1988 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27 मई, 1997 से व्यथित होकर मूल वादी इस न्यायालय में अपील के जरिये आया है। आक्षेपित निर्णय के जरिये उच्च न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया गया है।

विशेष आज्ञा द्वारा दर्ज इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या वादी ने यह साबित किया है कि वाद किये जाने की तारीख से 12 साल के भीतर वाद भूमि पर उसका कब्जा था?

जिन तथ्यों पर यह अपील पेश है वे इस प्रकार हैः

बयान्ना सर्वे नम्बर 19/1 मापन 3 एकड़ 12 गुंठा वाद जमीन का मालिक था। वाद भूमि इनाम भूमि थी। बयान्ना ने वाद भूमि को प्रत्यर्थी के पिता एन.नारायण रेड्डी को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 04.11.1958 बेचना किया था। एन. नारायण रेड्डी ने वाद संख्या 357/60 प्रिंसिपल द्वितीय मुंसिफ न्यायालय बैंगलोर में स्वामित्व और स्थाई निषेधाज्ञा पर आधारित कब्जा वापसी का वाद अपीलार्थी के खिलाफ इस आधार पर दर्ज कराया गया था कि अपीलार्थी इसके कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है।

उपरोक्त वाद में अपीलकर्ता का बचाव यह था कि उसने वाद भूमि 27.11.1959 को बी. बयान्ना से खरीदी थी और उस पर उनका कब्जा था। उनका अन्य बचाव यह था कि वाद भूमि इनाम भूमि है और वह खादिम किरायेदार के रूप में इनाम उन्मूलन अधिकरण के द्वारा पंजीकृत है। 7.4.1971 दिनांकित निर्णय व आदेश के द्वारा प्रिंसिपल मुंसिफ बैंगलोर ने आंशिक रूप से एन. नारायण रेड्डी द्वारा दर्ज वाद का डिक्री पारित करते हुए उन्हें 3 एकड़ 12 गुंठा की पूरी जमीन के बजाय 1 एकड़ 21 गुंठा का

मालिक माना था। हालांकि उन्हे पूरे 3 एकड़ 12 गुंठो के कब्जे में पाया गया था, इसलिए प्रिंसिपल मुंसिफ ने एन. नारायण रेड्डी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए अपीलार्थी को 3 एकड़ 12 गुंठों के कुल क्षेत्र में से 1 एकड़ 21 गुंठों के कब्जे की वसूली के लिए कदम उठाने की स्वतंत्रता देते हुए पूरी वाद भूमि मापन 3 एकड़ 12 गुंठों पर एन. नारायण रेड्डी के कब्जे में हस्तक्षेप करने के लिए रोक दिया। उपरोक्त निर्णय के जरिये प्रिंसिपल मुंसिफ बैंगलोर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि एन. नारायण रेड्डी का पूरी भूमि मापन 3 एकड़ 12 गुंठा पर कब्जा था; पूरी भूमि इनाम भूमि थी और क्योंकि 3 एकड़ 12 गुंठा की पूरी भूमि में से 1 एकड़ 21 गुंठा की जमीन उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी को पुनः प्रदान की गई थी, इस कारण से 3 एकड़ 12 गुंठा की पूरी भूमि का मालिक एन. नारायण रेड्डी नहीं था।

निर्णय और आदेश दिनांकित 7.4.1971 से व्यथित होकर एन. नारायण रेड्डी ने नियमित अपील संख्या दर्ज करवाई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांकित 13.1.1975 के जरिये नियमित अपील खारिज की गई। तत्पश्चात् एन. नारायण रेड्डी ने नियमित द्वितीय अपील संख्या 801/1975 कर्नाटका उच्च न्यायालय में दायर की जो 24.11.1982 को खारिज हुई। नतीजतन, वाद संख्या 357/60 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 7.4.1971, दिनांक 24.11.1982 को अंतिमता पर पहुंचा।

एन. नारायण रेड्डी द्वारा 1 एकड़ 21 गुंठा भूमि के कब्जे के लिए दायर आरएसए नंबर 801/75 में उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.1982 से दो साल के भीतर अपीलकर्ता ने वर्तमान वाद नंबर 1518/1984, 8.5.1984 को दायर किया। उपरोक्त वाद अतिरिक्त सिटी सिवल न्यायालय बैंगलोर में संस्थित किया गया था(संक्षिपत्ता के कारण विचारण न्यायालय कहा जायेगा)। उपरोक्त वाद में यह कहा गया है कि अपीलार्थी स्वीकारोक्तिपूर्वक 1971 में बेदखल हो गया था और इसलिए उक्त वाद परिसीमा बाधित था क्योंकि वह बेदखली के 13 वर्ष पश्चात् दर्ज किया गया था। नतीजन विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया।

अपीलार्थी ने व्यथित होकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियमित प्रथम अपील संख्या 412/1988 अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के जरिये ट्रायल कोर्ट के द्वारा वाद खारिज करने के आदेश को यह कहते हुए पुष्ट किया कि हस्तगत मुकदमा 12 वर्ष के पश्चात् दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दिया गया यह तर्क कि परिसीमा की अवधि एन. नारायण रेडडी द्वारा दर्ज आरएसए नं. 801/75 में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.11.1982 के बाद ही शुरू हुई थी, खारिज कर दिया गया। जिस कारण से यह सिविल अपील अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. रामाशेष ने यह तर्क दिया कि वादी ने पूर्व कब्जा नहीं बल्कि स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था

और इसलिए परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा समयावधि में दर्ज किया गया था, क्योंकि 12 वर्ष की परिसीमा उस तारीख से शुरू हुई थी जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकुल हो गया था। उन्होने तर्क दिया कि अनुच्छेद 64 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागु नहीं होता है, क्योंकि अचल सम्पत्ति पर कब्जे के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमा पूर्व कब्जे नहीं बल्कि स्वामित्व के आधार पर था। आगे यह भी आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ का अधिकारी था, क्योंकि पूर्व में एन. नारायण रेड्डी द्वारा संस्थित मुकदमा दिनांक 24.11.1982 को ही समाप्त हो गया था जब आरएसए संख्या 801/75 में उच्च न्यायालय ने वाद संख्या 357/60 में प्रधान मुंसिफ द्वारा पारित डिक्री दिनांकित 7.4.1971 की पुष्टि की थी।

हम उपरोक्त तर्को में कोई गुण नहीं पाते है। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 64 (परिसीमा अधिनियम, 1908 का अनुच्छेद 142) कब्जा बेदखल करने या कब्जा समाप्त होने के वाद तक ही सीमित है। किसी भी वाद को इस अनुच्छेद के दायरे में लाने के लिए यह दिखाया जाना आवश्यक है कि तत्व के साथ-साथ सार से भी वाद उस वादी, जो कि भूमि के कब्जे में था और तत्पश्चात् बेदखली या कब्जा समाप्ति के कारण से कब्जा छुट गया, के अभिकथनों पर आधारित है। जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 65 परिसीमा अधिनियम 1963(अनुच्छेद 144 परिसीमा अधिनियम 1908) अवशिष्ट प्रावधान है जो उन मुकदमों पर लागु किया

जाता है जो अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो। वादी के स्वामित्व पर आधारित वाद जिसमें पूर्व कब्जे का कोई अभिकथन नहीं है एवं मात्र बाद में बेदखली हुई है, धारा 65 के अन्तर्गत आ सकता है। यह सवाल कि किसी भी विशिष्ट वाद पर धारा 64 या धारा 65 लागु होगा, अभिवचनों के आधार पर निर्णित किया जाना है। वादी भौतिक तथ्यों को छिपा कर अनुच्छेद 65 का प्रयोग नहीं कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में, एन. नारायण रेडडी द्वारा प्रधान मुंसिफ बैंगलोर में संस्थित वाद संख्या 357/60 में अपीलार्थी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई थी। उक्त वाद में अपीलार्थी प्रतिवादी था। अपनी साक्ष्य में अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि 1971 तक वाद सम्पत्ति उसके कब्जे में थी। अपीलार्थी की उस वाद में यह स्वीकारोक्ति यहॉ पर अपीलार्थी की कब्जे से बेदखली का संकेत देती है। अपीलार्थी द्वारा कर्ज वर्तमान वाद में उसने इस तथ्य को छुपाया है। इन परिस्थतियों में, दोनों निचली अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थीं कि वर्तमान मुकदमा परिसीमा बाधित था। अपीलार्थी को 1971 में बेदखल कर दिया था एवं उसने वर्तमान वाद 8.5.1984 को दायर किया था। नतीजतन, दोनों निचली अदालतों द्वारा वाद को परिसीमा से बाधित मानते हुए खारिज कर दिया गया।

सूरत सिंह और अन्य बनाम बद्री नारायण सिंह, एआईआर (1927) इलाहाबाद 799, के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी द्वारा कब्जे के लिए दायर मुकदमे में यदि उसके द्वारा यह कहा जाता है कि

सम्पत्ति पर कब्जा होने के दौरान उसे बेदखल किया गया था, तो उसे परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142(अब अनुच्छेद 64) के तहत 12 साल का कब्जा दर्शित करना होगा। मोहम्मद महमूद बनाम मुहम्मद अफाक और अन्य, एआईआर(1934) अवध 21 के फैसलें में भी निर्णय का सार यही था। परिसीमा अधिनियम पर कमेन्ट्री परिसीमा अधिनियम, संजीव राव {संस्करण 9, खंड 2, पृष्ठ 549} में यह बताया गया है कि किसी प्रकरण में दोनों अनुच्छेद में से कौनसा अनुच्छेद लागू होगा यह अभिवचनों के संदर्भ में निर्णित किया जाना चाहिए, हालांकि वादी को कुशल अभिवचनों के जरिए असुविधाजनक अनुच्छेद से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामलें के तथ्यों से, हम पाते है कि अनुच्छेद 64 वर्तमान वाद पर लागू होता है। नतीजतन, दोनों नीचली अदालतों द्वारा वाद को सही खारिज किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में, उपरोक्त तथ्यों पर अपीलार्थी द्वारा धारा 14 परिसीमा अधिनियम 1963 उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रिंसिपल मुंसिफ की डिक्री दिनांक 7.4.1971 में कब्जे पर दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष को कभी चुनौती नहीं दी थी। एन. नारायण रेड्डी द्वारा पूर्व में वाद नंबर 357/60 दर्ज किया गया था जो कि आंशिक रूप से डिक्री किया गया और तत्पश्चात् नियमित अपील 45/71 दायर हुई जो कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 13.01.1975 को खारिज कर दी गई थी। तत्पश्चात् एन. नारायण रेड्डी ने आरएसए नंबर 801/75 दर्ज किया

जिसे 24.11.1982 को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि इस पूरी अवधि के दौरान अपीलार्थी विधि अनुरूप एन. नारायण रेड्डी से 1 एकड़ 21 गुंठा पर कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु अपीलार्थी ने 8.5.1984 तक कब्जे प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नतीजतन, अपीलार्थी परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 के लाभ का अधिकारी नहीं था।

उपरोक्त कारणों से, हम इस सिविल अपील में कोई गुण नहीं पाते है और तदनुसार इसे बिना किसी कोस्ट पर खारिज किया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेरणा यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।